उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

राज्यसात वाद संख्या – 16 / 2017

राज्य बनाम् मदन प्रसाद (ज0वि0प्र0 विक्रेता अनु0सं0–01 / 1995)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
21-02-2018	**–:: आदेश ::–** जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ का पत्रांक 12(मु0) / आ0 दिनांक 20.05.2017 द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता मदन प्रसाद, केदला, अनुज्ञप्ति संख्या – 01 / 1995, प्रखण्ड माण्डू के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा– 6(ए) के तहत् राज्यसात की कार्रवाई प्रारम्भ करने हेतु अनुशंसा सहित प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए, अभ्युक्त मदन प्रसाद (जन वितरण प्रणाली विक्रेता, अनुज्ञप्ति सं0– 01 / 1995) ग्राम– केदला, प्रखण्ड माण्डू, जिला रामगढ़ को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ का पत्रांक 777 / आ0 दिनांक 04.07.2017 द्वारा नोटिस तामिला प्राप्त। नोटिस प्राप्ति के उपरान्त अभ्युक्त मदन प्रसाद (जन वितरण प्रणाली विक्रेता, अनु0सं0–01 / 1995) लगातार अनुपस्थि चले आ रहे है, जिससे प्रतित होता है कि खाद्यान्न एवं किरासन तेल कालाबाजारी के आरोप के संबंध में किसी प्रकार का वैद्यानिक साक्ष्य / दस्तावेज अभ्युक्त के पास नहीं है। अभिलेख में संलग्न कागजात, प्राप्त प्रस्ताव, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, माण्डू का पत्रांक 120 / आ0 दिनांक 19.07.2017, ओ0पी0 वेस्ट बोकारो, थाना माण्डू में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु श्री दिनेश कुमार सिंह, पणन पदाधिकारी, माण्डू द्वारा दिनांक 17.05.2017 को दायर आवेदन एवं जब्ती सूची तथा जिम्मानामा का अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा प्राप्त अनुशंसा से असहमत होने का काई ठोस आधार नहीं है। अतः जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में आवश्यक वस्तु अधिनियम की सुसंगत धारा अन्तर्गत **जप्त कुल 35 क्विंटल चावल (30 क्विंटल चावल – 60 बोरी चावल प्रति बोरी 50 किलोग्राम एवं 05 क्विंटल चावल – 10 पैकेट प्लास्टीक बोरा) तथा 01 ड्रम दो सौ लीटर ब्लू किरासन तेल को राज्यसात किया जाता है।** आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ को भेजे। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें। लेखापित एवं संशोधित 21/2/18 **उपायुक्त,** रामगढ़। 21/2/18 **उपायुक्त,** रामगढ़।	